मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग

पंचम तल, मेट्रो प्लाजा, बिट्टन मार्केट, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल

क्रमांक मप्रविनिआ-अ.एवं.वि-2020-1040 भोपाल, दिनांक 7 सितम्बर 2020

In exercise of the powers conferred by Section 181 read with Section 45(3)(b) and 46 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003) and all other powers enabling it in that behalf, the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission, hereby, makes the following amendments in Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Recovery of expenses and other charges for providing electric line or plant used for the purpose of giving supply) Regulations (Revision-I), 2009 namely :-

AMENDMENT

1. Short Title and Commencement

(1) These Regulations shall be called the 'Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Recovery of expenses and other charges for providing electric line or plant used for the purpose of giving supply) Regulations, (Revision-I) 2009 (Seventh Amendment) {ARG-31(I)(vii) of 2020}.

(2) These Regulations shall extend to the whole of Madhya Pradesh.

(3) These Regulations shall come into force on the date of their publication in the Madhya Pradesh Gazette.

2. Amendment to the Regulation 5.0

In the said regulation, for regulation 5.0, the following regulation shall be substituted, namely: -

"5.0 Other Charges to be recovered from consumers: -

5.1.1 As provided for in Section 45(3)(b) of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the Distribution Licensee may charge from the consumers a rent or other charge in respect of any electric Meter or Electrical Plant provided by the Distribution Licensee. Accordingly, the Commission notifies schedule of metering charges and other charges as mentioned in Annexure I appended to this Regulation. However, metering charges prescribed in the Annexure I appended to this regulation shall be levied up to the effective period of the retail supply tariff order for FY 2019- 20. Thereafter, metering charges (if any) shall be applicable in accordance with the respective retail supply tariff order issued by the Commission from time to time."

By order of the Commission,
SHAILENDRA SAXENA, Secy.

विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 181 के साथ पठित धारा 45 की उपधारा (3) के खण्ड (ख) एवं धारा 46 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, एतद् द्वारा, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाईन प्रदाय करने अथवा उपयोग किये गये संयत्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) (पुनरीक्षण–प्रथम), विनियम 2009,में निम्न संशोधन करता है, अर्थात् :–

संशोधन

1. संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ

(1) ये विनियम "मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाईन प्रदाय करने अथवा उपयोग किये गये संयत्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) (पुनरीक्षण प्रथम) (सातवां संशोधन) विनियम, 2009 {एआरजी–31 (1) (vii)वर्ष 2020}" कहलायेंगे।

(2) ये विनियम संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में लागू होंगे।

(3) ये विनियम मध्यप्रदेश "राजपत्र" में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगें।

2. खण्ड 5.0 में संशोधन

उक्त विनियमों में विनियम 5.0 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम स्थापित किया जाए अर्थात् :–

"5.0 उपभोक्ताओं से वसूल किए जाने वाले अन्य प्रभारः–

5.1.1 जैसा कि विद्युत अधिनियम 2003 (2003 का 36) की धारा 45 (3) (बी) में उपबंधित किये अनुसार विद्युत वितरण अनुज्ञप्तिधारी, उसके द्वारा प्रदत्त किसी विद्युत मापयंत्र (मीटर) अथवा विद्युत संयत्र के बारे में उपभोक्ता से भाड़ा तथा अन्य प्रभारों की वसूली कर सकेगा । तद्नुसार, आयोग इस विनियम के परिशिष्ट–1 में उल्लेख किये गये अनुसार मीटरिंग प्रभारों तथा अन्य प्रभारों की अनुसूची अधिसूचित करता है। तथापि, इस विनियम के परिशिष्ट–1 में निर्धारित किये गये मीटरिंग प्रभारों की वसूली वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु खुदरा विद्युत–प्रदाय टैरिफ आदेश की प्रभावी अवधि तक ही की जा सकेगी। तत्पश्चात्, मीटरिंग प्रभार (यदि कोई लागू हों) आयोग द्वारा समय–समय पर जारी किये जाने वाले खुदरा विद्युत प्रदाय टैरिफ आदेश के अनुसार ही प्रयोज्य होंगे।"

आयोग के आदेशानुसार,
शैलेन्द्र सक्सेना, सचिव.